दिल्ली स्थित औद्योगिक एककों के प्रशासनिक कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण

2081. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नियंत्रण में संचालित ऐसे औद्योगिक एककों के कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं जिनके उत्पादन एकक दिल्ली से बाहर स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने इन कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन कार्यालयों के स्थानान्तरण को स्वीकार किया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो इनका अब तक स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इन कार्यालयों के स्थानान्तरण के लिए कोई अंतिम अवधि निर्धारित करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) सम्भवत: माननीय सदस्यों का आशय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों से है। ऐसे लगभग 180 कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं। इनमें से अधिकांश क्षेत्रीय / सम्पर्क / शाखा कार्यालय हैं। इनमें से कई उपक्रमों की उत्पादन परियोजनायें दिल्ली से बाहर स्थित हैं।

(ख) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कागज की कीमतों में भारी वृद्धि

2082. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष के दौरान उत्पादन एककों द्वारा कागज की कीमतों में भारी वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो कागज की कीमतों में कितनी वृद्धि की गई और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कागज की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या कोई उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) उद्योग द्वारा विभिन्न किस्मों के कागज और गत्ते का उत्पादन तथा विपणन किया जाता है और उनके मूल्य एक कारखाने से दूसरे कारखाने तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होते हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान,विभिन्न किस्मों के कागज़ और गत्ते के कारखाना मूल्य में वृद्धि के विषय में समाचार आते रहे हैं तथा यह मूल्य वृद्धि एक कारखाने से दूसरे कारखाने में भिन्न भिन्न है। निवेशों की लागत किराये भाड़े, उत्पादन कर, इत्यादि में वृद्धि के कारण मूल्यों में यथासूचित संशोधन आवश्यक हो गया है।

(ग) इस समय, देश में कागज के मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। सरकार द्वारा कागज और गत्ते के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप, जहां तक कागज़ की सामान्य किस्मों का संबंध है, देश लगभग आत्म निर्भर हो गया है।

Supreme Court Directions on recovery from DPEA

2083. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what was the direction of the Supreme Court on the issue of recovery from DPEA in respect to bulk drugs and formulations;

(b) whether it was on bulk drugs or formulations;

(c) whether it is a fact that special team calculated on bulk drugs;

(d) if so, on whose directive; and

(e) what are the details of bulk drugs and formulations of each company on which the due amount was calculated?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (e) The required details, to the extent available, would be collected and laid on the Table of the Rajya Sabha.

मध्य प्रदेश में इंदिरा सरोवर जल विद्युत परियोजना

2084. **श्रीमती सत्या बल्हिन :**
कुमारी सईदा खातून :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में वारसूर क्षेत्र में स्थित इन्दिरा सरोवर जल विद्युत परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी थी और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च कीगई है;

(ख) क्या सरकार इस परियोजना को बन्द करने जा रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना का भविष्य क्या है और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस परियोजना के बन्द हो जाने की आशंका से बस्तर वासियों में भारी असंतोष व्याप्त है?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) मध्य प्रदेश स्थित इंदिरा सरोवर जल विद्युत परियोजना को योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1979 में 209 करोड़ रुपए को अनुमानित लागत के लिए निवेश संबंधी मंजूरी दे दी गई थी। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि अब तक करीब 30 करोड़ रुपए को व्यय हो चुका है। इस व्यय में प्रतिपूरक नियोजन एवं मूलभूत सुविधाओं पर लगा व्यय शामिल है।

(ख) और (ग) चूंकि परियोजना के लिए वन भूमि प्राप्त कर ली गई थी। इसलिए परियोजना को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद अंतरित नहीं किया गया, इस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू हो गया था। राज्य के प्राधिकारियों ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत परियोजना की मंजूरी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1900 के तहत मंजूरी मिलने पर ही परियोजना को पुनः स्वीकृति दी जायेगी। परियोजना के आशंकित बन्द के बारे में स्थानीय निवासियों के कथित आक्रोश के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांगी गई है।

Low level plant load factor in electricity generation

2085. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the factors have been located for low level plant load factor in electricity generation by public undertakings if so, what are these factors;

(b) what are the latest figures of the level of plant load factor in central electricity public undertakings;

(c) what are the transmission losses, whether any device is available to prevent or reduce the transmission losses; and

(d) whether private sector has come forward to set up plants for electricity generation, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) Yes, Sir. The plant load factor of Thermal Power Station depends on a number of factors such as quality of coal, system load management, operational and maintenance practices, availability of adequately trained operational and maintenance personnel, spares management, industrial relations, etc.

(b) The plant load factor of Central Electricity Public Undertaking for the period April, 1988 to February, 1989 was as under:-

NTPC	66%
Neyveli	70.2%
DVC	41.0%

(c) All India average Transmission and Distribution (T&D) losses during 1987-88